प. 08 क्रमांक 782 दि 27/8/2022

...खण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–3
संख्याः 656 /XVIII(3)2022-04(01)/2020,
देहरादून, दिनांकः 22 अगस्त, 2022

अधिसूचना

विविध

राज्यपाल, **'भारत का संविधान'** के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा इस विषय के विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड के भू–अर्जन लिपिक वर्ग (राजस्व विभाग) की सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्ते विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड भूमि अर्जन (लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग) (राजस्व विभाग) सेवा नियमावली, 2022

भाग–1–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1. (1)	यह नियमावली, **उत्तराखण्ड भूमि अर्जन (लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग) (राजस्व विभाग) सेवा नियमावली, 2022** है।
	(2)	यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
सेवा की प्रास्थिति	2.	उत्तराखण्ड भूमि अर्जन लिपिक वर्ग (राजस्व विभाग) सेवा में समूह "ग" के पद समाविष्ट है।
परिभाषाएं	3.	जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में:–
	(क)	**"नियुक्ति प्राधिकारी"** से संबंधित जिले के कलेक्टर अभिप्रेत है;
	(ख)	**''भारत का नागरिक''** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संविधान के भाग–II के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है;
	(ग)	**"आयोग"** से ''उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग'' अभिप्रेत है;
	(घ)	**"संविधान"** से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है;
	(ड़)	**"सरकार"** से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
	(च)	**"राज्यपाल''** से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;
	(छ)	**"सेवा का सदस्य"** से इस नियमावली या इससे पूर्व नियमावली

या आदेशों के अधीन मौलिक रुप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) "सेवा" से उत्तराखण्ड भूमि अर्जन (लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग) (राजस्व विभाग) सेवा अभिप्रेत है;

(झ) **"मौलिक नियुक्ति"** से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो; तथा

(ञ) **"भर्ती का वर्ष"** से कैलेण्डर वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग 2– संवर्ग

सेवा संवर्ग

4. (1) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।

(2) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश द्वारा परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी, जो परिशिष्ट 'क' में दी गयी है।

परन्तु उपबन्ध यह हैं कि :–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थागित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे स्थाई अथवा अस्थाई पद सृजित कर सकते हैं जैसे वे उचित समझें।

भाग 3–भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. उत्तराखण्ड भूमि अर्जन लिपिक वर्ग (राजस्व विभाग) सेवा के पदों पर भर्ती निम्न प्रकार की जायेगी:–

(1) कनिष्ठ सहायक

(1) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा आयोग के माध्यम से;

(2) 15 प्रतिशत मौलिक रुप से नियुक्त समूह 'घ' प्रोसेस सर्वर के कर्मचारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और जिन्होंने उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् से इण्टरमीडिएट या सरकार द्वारा मान्यता

प्राप्त समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तथा जो नियम 8 की अर्हतायें पूर्ण करता हो;

परन्तु यदि मौलिक रुप से नियुक्त समूह 'घ' प्रोसेस सर्वर में निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले कर्मी उपलब्ध न हों तो सेवा के समस्त पदों पर नियुक्ति सीधी भर्ती के माध्यम से की जायेगी।

(2) वरिष्ठ सहायक — मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा;

(3) प्रधान सहायक — मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा;

(4) प्रशासनिक अधिकारी — मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे प्रधान सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा;

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग 4—अर्हता

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका तथा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तांजनिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगनिका और जंजीबार) के

पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु, उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से संबंधित अभ्यर्थी के लिए भी उप मुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा;

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी– जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही, नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षणिक अर्हता 8. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए:–

पद	अर्हता
कनिष्ठ सहायक	(1) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् से इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (2) कनिष्ठ सहायक (टंकक) के पद हेतु अभ्यर्थी को कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में 4000 KDPH न्यूनतम गति से प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण की जानी आवश्यक होगी।

अधिमानी अर्हता 9. अभ्यर्थी जिसने–

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या

(2) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, उसे अन्य बातें समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में

की जायेगी कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड II भाग III के अध्याय III में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें;

परन्तु यह कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) (अधिनियम संख्या–49 वर्ष 2016 भारत सरकार) की धारा 33 के कम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा;

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

भाग 5–भर्ती प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा

15. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाले रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड़ की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

16. (1) सीधी भर्ती करने के लिये आवेदन पत्र का प्रारुप, आयोग द्वारा, ऐसे न्यूनतम दो दैनिक समाचार–पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा।

(2) (एक) चयन के लिये 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्रवीणता सूची, लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी।

(दो) (क) लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(ख) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(ग) लिखित परीक्षा के पश्चात् लिखित परीक्षा की उत्तरमाला को आयोग की वेबसाईट http://sssc.uk.gov.in या दैनिक समाचार पत्र में, जिसका व्यापक परिचालन है, पर प्रदर्शित एवं प्रकाशित

की जायेगी;

परन्तु उपबन्ध यह है कि ऐसे पद, जिनके लिये कोई शारीरिक मानक, अनिवार्य अर्हता के रुप में या भर्ती के ढंग के रुप में विहित किये गये हों, लिखित परीक्षा के पूर्व अभ्यर्थियों से विहित शारीरिक परीक्षण कराने की अपेक्षा की जायेगी और उन्हीं अभ्यर्थियों को चयन के लिये परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी, जो पद के लिये विहित न्यूनतम मानकों को पूरा करते हों।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

17. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर उत्तराखण्ड़ विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के पदों के लिये) (समय–समय पर यथासंशोधित) नियमावली, 2002 के अधीन गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होगेः–

(क) नियुक्ति प्राधिकारी — अध्यक्ष

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो राजपत्रित अधिकारी जो उस पद का पर्यवेक्षीय हैसियत रखते हों जिसके लिए चयन किया जाये — सदस्य

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग का एक अधिकारी — सदस्य

(2) उपरोक्त पदों पर पदोन्नति हेतु 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 2004' एवं ''उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर) राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिये चयन प्रक्रिया नियमावली, 2013 (समय–समय पर यथासंशोधित) के उपबन्ध लागू होंगे।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी, (ज्येष्ठता के आधार पर) अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 2003 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजिकाओं और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(4) चयन समिति उपनियम (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी।

(5) चयन समिति उपनियम (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार प अभ्यर्थियों की भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों व

अनुसार वरियता के कम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

संयुक्त चयन सूची

18. यदि किसी वर्ष सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो संगत सूचियों में से नाम लेकर एक संयुक्त चयन सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग–6 नियुक्ति, प्रशिक्षण, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

नियुक्ति

19. (1) उपनियम (2) के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस कम में लेकर जिसमें वे नियम 15, 16 अथवा 17 यथास्थिति, के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

(2) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष भर्ती में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी है, तो नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न किया गया हो और नियम 18 के अनुसार संयुक्त सूची तैयार न की गयी हो।

(3) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्तियों का आदेश जारी किया जाता है, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार या उस क्रम में, यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो नाम नियम 18 में निर्दिष्ट चक्रीय क्रम में क्रमांकित किये जायेंगे।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची में नियुक्ति कर सकता है। यदि सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो वह इन नियमों के अधीन पात्र अभ्यर्थियों में से ऐसी रिक्तियों पर नियुक्ति कर सकता है। ऐसी नियुक्तियाँ एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए या इन नियमों के अधीन अगले चयन के बाद तक, इनमें जो भी पहले हो, नहीं की जायेगी।

परिवीक्षा

20. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरूद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा;

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे;

परन्तु उपबन्ध यह है कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकारी नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में प्रदान की गयी हो।

स्थायीकरण

21. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा यदि उसने–

(क) विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो;

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो;

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित हो; तथा

(घ) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाये कि वह स्थायी किये जाने हेतु अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता

22. सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग–7 वेतन आदि।

वेतनमान

23. (1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुज्ञेय वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट 'ख' के अनुसार होंगे।

परिवीक्षा के दौरान वेतन

24. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकार सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी, जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी, जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो;

परन्तु यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाती है तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पदधारक रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा;

परन्तु यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी संवकों पर सामान्यता लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग 8–अन्य प्रावधान

पक्ष समर्थन

25. किसी पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक, पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।

अन्य विषयों

26. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रुप से इन नियमों या

का विनियमन

विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति, राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवको पर साधारणतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

सेवा शर्तों का शिथिलीकरण

27. यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वे इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तो के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभियुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी जो इस मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा सम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझे:

परन्तु, उपबन्ध यह है कि जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया है, वहां नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त करने या शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श करना होगा।

व्यावृत्ति

28. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

(आनन्द बर्द्धन)
अपर मुख्य सचिव, राजस्व

परिशिष्ट–'क'

(नियम 4(2) देखें)

पद नाम	देहरादून हेतु	हरिद्वार हेतु	टिहरी हेतु	नैनीताल हेतु	पौड़ी गढ़वाल हेतु	अल्मोड़ा हेतु	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
कनिष्ठ सहायक (32%)	2	2	1	1	1	1	8
वरिष्ठ सहायक (28%)	1	1	1	1	1	1	6
प्रधान सहायक (18%)	1	1	1	1	1	1	6
प्रशासनिक अधिकारी (8%)	1	1	–	1	1	1	5
योग–	5	5	3	4	4	4	25

(आनन्द बर्द्धन)
अपर मुख्य सचिव, राजस्व

परिशिष्ट–'ख'

(नियम 22(2) देखें)

पद नाम	वेतनमान (मैट्रिक्स स्तर)
कनिष्ठ सहायक	वेतन मैट्रिक्स (21700–69100) (लेवल–3)
वरिष्ठ सहायक	वेतन मैट्रिक्स (29200–92300) (लेवल–5)
प्रधान सहायक	वेतन मैट्रिक्स (35400–112400) (लेवल–6)
प्रशासनिक अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स (44900–142400) (लेवल–7)

(आनन्द बर्द्धन)
अपर मुख्य सचिव, राजस्व

संख्या–656 /XVIII(3)2022, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव–मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी/अभिलेख अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, जनपद हरिद्वार को नियमावली के अंग्रेजी अनुवाद सहित सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं मुद्रित नियमावली की हिन्दी व अंग्रेजी की 50–50 प्रतियां राजस्व अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने हेतु।
7. गार्ड फाईल।
8. गोपन अनुभाग।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।